न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 47/2021

वादीनी		प्रतिवादीगण
1 पारू पुत्री मगाराम पत्नी देदाराम जाति जाट निवासी देवासर, नांद तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 सोनाराम पुत्र मगाराम 2 लाभूराम 3 जूंजाराम 4 अर्जुनराम 5 जुगताराम पिसरान पोकरराम 6 उदाराम 7 मंगनाराम पिसरान दीपाराम 8 रामाराम 9 तेजाराम पिसरान रूपाराम 10 हनुमानराम पुत्र ठाकराराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 11 इमियो पत्नी ठाकरा 11 इमियों पत्नी ठाकराराम 12 भभूताराम पुत्र खरथाराम जाति जाट निवासी देवासर, नांद तहसील व जिला बाडमेर 13 शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा विशाला 14 शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा भादरेश 15 तहसीलदार बाडमेर 16 उप पंजीयक बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील वादीगण।

2. श्री पुरूषोतम सोलंकी, वकील प्रतिवादी संख्या 13।

निर्णय

दिनांक 17/09/21

संक्षिप्त में वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई–बहिन है जो स्व. मगाराम के वंशज है, जो हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की भूमि मौजा देवासर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 137 रकबा 230.10 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा निहित है। वादीनी पुत्री होने के नाते ~~तथा~~ प्रतिवादी संख्या 01 मगाराम की विधिक वारिस है। मगाराम के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान में प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम के साथ वादीनी का भी राजस्व अभिलेख में नाम अंकित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा नही हुआ। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा देवासर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 137 रकबा 230.10 बीघा भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा निहित होने से प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 13 उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण ईकतरफा।

वादीनी पारू पुत्री मगाराम तथा स्वंतत्र गवाह करनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी झरी (जूनेजों की बस्ती तहसील शिव) द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे बाद मुख्य परीक्षण सामिल मिसल किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

D:\LJ\Lalit Ji Joshi\Fast Track Order\ORDER 88 FT.docx

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीनी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीनी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा मौजा देवासर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 137 रकबा 230.10 बीघा भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा निहित होने से प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031, नामान्तकरण एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीनी का हिस्सा जन्म से निहित होने से वादीनी, प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम के साथ संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से की सहखातेदारी की घोषित करवाने की अधिकारी है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा देवासर पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 137 रकबा 230.10 बीघा भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक ....17.03.21.... को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर